

फर्द अहमकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 20

| क्र०सं० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष वि |
|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | 29.1.25 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्राथी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रत्येक ले संबन्धित मूल पत्र अन्तर्गत भारतीय न्याय विभाग-3 के तहत अद्वयम छाजरी व अद्वयम पेरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. भी अद्वयम छाजरी व अद्वयम पेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभारंभ हीकर नंबर ले कम हीकर दाखिल दफ्तर ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> | |